कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

क्र/एफ–166/स्टे.आयु./2020–21/3908 भिलाई, दिनांक 24/9/2020

//आदेश//

छ.ग. शासन की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत् गोधन न्याय योजना की कार्य प्रगति से प्रतिदिन शासन स्तर पर जानकारी भेजना आवश्यक होता है। निरीक्षण में यह देखा गया है कि गौठानों में क्रय किये गये गोबर एवं उनका रख–रखाव सही तरीके से नहीं हो रहा है। सभी जोन आयुक्त गोधन न्याय योजना में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए योजना का सुचारु रुप से कियान्वयन एवं सफल संचालन हेतु प्रतिबद्ध होना सुनिश्चित करें।

जिसके अनुक्रम में सर्व जोन आयुक्त एवं गोठान के नोडल अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि :–

1. प्रत्येक गुरुवार को जोन आयुक्त एवं गौठान नोडल अधिकारी की समीक्षा गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी के द्वारा 12:00 बजे अपने कक्ष में किया जावे।
2. वर्मी कम्पोस्टिंग हेतु गौठानों में उचित व्यवस्था जैसे कि कम्पोस्ट पिट/शेड/केचुआ/ पानी/वेट मशीन इत्यादि की व्यवस्था एवं सतत् निगरानी का दायित्व जोन आयुक्त का होगा।
3. प्रत्येक जोन आयुक्त अपने जोन में बनाये गये गौठान में गोबर खरीदी का सत्यापन रिपोर्ट दो दिवस के भीतर अर्थात दिनांक 26.09.2020 तक गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करें।
4. प्रत्येक गौठान के नोडल अधिकारी प्रतिदिन गोबर खरीदी की दैनंदिनी जानकारी पी.आई. यू. को दोपहर 1:30 बजे तक भिजवाना सुनिश्चित करें।
5. जोन में समस्त पशुपालकों को गोधन न्याय योजना एप में पंजीयन करना सुनिश्चित करें। ऐसे पशुपालक जो गोबर विक्रय नहीं करना चाहते उनके द्वारा दो दिवस के भीतर एन.ओ.सी. प्राप्त कर पी.आई.यू. को प्रेषित किया जावे।
6. सर्व जोन आयुक्त द्वारा क्रय किये गये गोबर एवं गीले कचरे को समान मात्रा में परत दर परत रखकर विधिवत वर्मी कम्पोस्ट बनाना सुनिश्चित करें। जिससे अधिक मात्रा में वर्मी कम्पोस्ट तैयार कर पर्याप्त आय की उपलब्धता हो सके तथा तैयार किये गये कम्पोस्ट की पंजी भी संधारित किया जावे।
7. पूर्व में निर्माण किये गये कम्पोस्ट पिट में तत्काल वर्मी कम्पोस्टिंग का कार्य प्रारंभ किया जावे एवं बचे हुए टांका का निर्माण जल्द से जल्द पूर्ण करावें।

तद्नुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए सतत् निरीक्षण सुनिश्चित करें, ताकि शासन के गोधन न्याय योजना का सफल क्रियान्वयन हो सके, अन्यथा की स्थिति में कार्यवाही के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(ऋतुराज रघुवंशी)
आई.ए.एस.
आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

क्रमशः..2

क/एफ–166/स्टे.आयु./2020–21/3909   भिलाई, दिनांक 24/9/2020

प्रतिलिपि :–

1. महापौर/अध्यक्ष महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला–दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभिंयता, I/II, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त I/II, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त, जोन क. 1,2,3,4 एवं 5, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. नोडल अधिकारी, गोधन न्याय योजना/राष्ट्रीय आजीविका मिशन, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
8. जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ। प्रेस विज्ञप्ति जारी हेतु।
9. सर्व संबंधित पी.आई.यू., नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. सहायक परियोजना अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. सर्व संबंधित विभाग प्रमुख ....नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को निगम के वेबसाईट (आदेश फाईल) में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई